सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

Ref. No.: F5 (738)/DoIT/Tech/13/01881/2020 Date: 20.03.2020

परिपत्र

राज्य में कोरोना वायरस COVID-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की वजह से वर्तमान में अधिक से अधिक बैठकें वी. सी. के माध्यम से आयोजित होने की सम्भावना है। अतः जिला स्तर एवं विभाग स्तर पर कार्यरत सभी एस.ए.(संयुक्त निदेशक) तथा ऐ.सी.पी.(उप निदेशक) /प्रोग्रामर को अधिक से अधिक बैठकें वी.सी. के माध्यम से आयोजन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला वी. सी. कक्ष में सम्बन्धित एस.ए.(संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक)/प्रोग्रामर का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है।

2. इसी प्रकार विभागों में वी. सी. के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों में सम्बन्धित विभाग में पदस्थापित एस.ए. (संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक)/प्रोग्रामर का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है।

3. सम्बन्धित एस.ए.(संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक)/प्रोग्रामर द्वारा जिला वी. सी. कक्ष में स्थापित वी. सी. उपकरणों का व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन निरीक्षण कर सभी वी. सी. उपकरणों का कार्यरत होना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

4. एस.ए.(संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक)/प्रोग्रामर को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक वी.सी. से पूर्व एवं वी.सी. के पश्चात वी. सी. कक्ष में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हत्थों, मेज, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर पोछा (Mopping) लगवाकर विसंक्रमित (disinfection) किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विरेन्द्र सिंह)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. निजि सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. एस. ए. (संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक), समस्त जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
5. एस. ए. (संयुक्त निदेशक)/ऐ.सी.पी.(उप निदेशक), विभाग कार्यालय ....।
6. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

IT Building, YojanaBhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in